डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DR. HARI SINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M. P.)
(A Central University)

क्रमांक आर/स्था./2022/ 7688 | 27 **मई 2022**

// संशोधित अति–आवश्यक सूचना //

पूर्व प्रसारित अति–आवश्यक सूचना दिनांक 26 मई 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सागर का आदेश क्रमांक 269/स्था. निर्वा./2021 दिनांक 22.05.2022 (संलग्न) के परिपालन में नगरीय निकाय एवं त्रि–स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है।

विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सागर द्वारा जारी उक्त आदेश का पालन करते हुए किसी भी प्रकार के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अपर कलेक्टर जिला निर्वाचन कार्यालय, सागर (म.प्र.) से अनुमति प्राप्त होने की दशा में ही अवकाश विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार,

27/5/2022

प्रभारी कुलसचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सागर – सूचनार्थ।
2. समस्त अध्ययनशाला अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष एवं निदेशक।
3. समस्त शिक्षक–गण।
4. समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण।
5. समस्त शाखा प्रभारी।
6. कुलपति जी के सचिव – सूचनार्थ।
7. कुलसचिव के निजी सहायक।
8. प्रभारी मीडिया अधिकारी।
9. समन्वयक, वि.वि. बेवसाइट सेल।
10. संबंधित नस्ति।

27/5/2022

प्रभारी कुलसचिव

090

निर्वाचन
अति–आवश्यक

दूरभाष: 07582–221900,220716
फैक्स: 07582–222070
E-mail: deosagarle@gmail.com

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(स्थानीय निर्वाचन)जिला सागर
OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTT. ELECTION OFFICER(LOCAL ELECTION) SAGAR

क्रमांक क/269 /स्था0 निर्वा0/2021 सागर दिनांक 22/05/2022

–:आदेश:–

नगरीय निकाय एवं त्रि–स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन वर्ष 2022 से संबंधित समस्त कार्यवाही को निर्विघ्न तरीके से एवं सुचारू रूप से समय सीमा के अन्दर सम्पन्न कराये जाने हेतु जिले के समस्त कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है।

विशेष परिस्थितियों में अत्यावश्यक होने की स्थिति में आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवश्यक होने पर नियत अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला सागर

पृ0क्रमांक क/269 /स्था0 निर्वा0/2021 सागर दिनांक 22/05/2022
प्रतिलिपिः–

1 सचिव म0 प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2 पुलिस अधीक्षक जिला सागर।
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत) जिला–सागर।
4 आयुक्त नगर पालिक निगम सागर।
5 अपर कलेक्टर जिला सागर ।
6 संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन जिला सागर।
7 डॉ जी0 एस0 रोहित अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सागर।
8 रिटर्निंग आफीसर
अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व) सागर,राहतगढ़,बीना,खुरई,मालथौन,रहली,देवरी,बण्डा।
9 रिटर्निंग आफीसर/सहायक रिटर्निंग आफीसर तहसीलदार/नायब तहसीलदार सागर,सुरखी,बिलहरा, मकरोनिया,राहतगढ,जैसीनगर,बीना,खुरई,मालथौन,बांदरी,रहली,देवरी,केसली,गढ़ाकोटा,बण्डा,शाहगढ़, शाहपुर।
10 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)सागर,राहतगढ़,जैसीनगर,बीना,खुरई,मालथौन,रहली,देवरी, केसली,बण्डा,शाहगढ़।
11 मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगरीय निकाय) मकरौनिया,सुरखी बिलहरा,राहतगढ़,शाहपुर,बीना,खुरई, मालथौन,बांदरी,रहली,देवरी, गढ़ाकोटा,बण्डा,शाहगढ़।
12 प्राचार्य,शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय सागर।
13 जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला सागर।
14 अधीक्षक,जिला कार्यालय सागर।
15 स्टेनो कलेक्टर जिला सागर ।
16 समस्त कार्यालय प्रमुख——डॉ. हरीसिंह गौर वि. वि. सागर—— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
कृपया आयोग द्वारा दिये निर्देशानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला सागर

Scanned with CamScanner